मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 22/12/2022

क्रमांकः एफ 3-24/2015/10-1 : मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त छतरपुर के पत्र क्र./2030 दिनांक 27.07.2022 से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार वृत्त स्तरीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 29.10.2010 में की गई अनुशंसा के आधार पर मु.व.सं. छतरपुर के आदेश क्र./430 दिनांक 30.11.2010 द्वारा श्री पस्तोर से कनिष्ठ वनपाल श्री विनोद कुमार अवस्थी को उप वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नत किया गया। तत्समय श्री पस्तोर, वनपाल के विरूद्ध वन परिक्षेत्र ओरछा के निर्धारित रोस्टर अनुसार सबरेंज भेलसा का बीट निरीक्षण न करने के कारण वनमण्डलाधिकारी, टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक/राजस्व/09/2612 दिनांक 24.06.2009 से कारण बताओ सूचना पत्र जारी होने के कारण श्री पस्तोर की उप वनक्षेत्रपाल पद पर पदोन्नति नहीं की गई थी।

2/ वनमण्डलाधिकारी, टीकमगढ़ के आदेश क्र./423 दिनांक 21.12.2010 द्वारा व.म.अ. टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक/राजस्व/09/2612 दिनांक 24.06.2009 से जारी कारण बताओ सूचना पत्र में श्री पस्तोर द्वारा दिया गया प्रति उत्तर संतोषप्रद पाये जाने के फलस्वरूप प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया गया। तदउपरांत वृत्त स्तरीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 30.05.2011 में की गई अनुशंसा के आधार पर मु.व.सं. छतरपुर के आदेश क्र.500 दिनांक 22.11.2011 से श्री पस्तोर को उप वनक्षेत्रापाल के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई, किन्तु उनसे कनिष्ठ वनपाल श्री विनोद कुमार अवस्थी की उप वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति दिनांक 30.11.2010 से श्री पस्तोर को उप वनक्षेत्रापाल के पद पर वरीयता नहीं दी गई।

3/ श्री राजेन्द्र प्रसाद पस्तोर द्वारा उप वनक्षेत्रपाल के पद पर दिनांक 30.10.2010 से वरीयता निर्धारण नहीं होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में याचिका क्र.12440/2022 दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्र. 12440/2022 में पारित निर्णय दिनांक 14.06.2022 के पालन में मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त छतरपुर के आदेश क्र./119 दिनांक 22.7.2022 द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद पस्तोर को दिनांक 22.11.2011 के स्थान पर दिनांक 30.11.2010 से उप वनक्षेत्रापाल के पद पर वरीयता/पदोन्नति का लाभ "कार्य नहीं वेतन नहीं" सिद्धांत पर प्रदान की गई।

4/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-।।) म.प्र. भोपाल के आदेश क्र./क्षे.स्था.-1/2021/503 दिनांक 12.08.2022 द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद पस्तोर को उप वनक्षेत्रपाल के पद पर वरीयता संशोधित होने के फलस्वरूप उप वनक्षेत्रपाल की राज्य स्तरीय वरीयता सूची दिनांक 1.4.2014 में श्री राजेन्द्र प्रसाद पस्तोर को वरीयता क्र. 350 श्री नरेश कुमार काकोडिया के नीचे एवं वरीयता क्र. 351 श्री विनोद कुमार अवस्थी के ऊपर वरीयता क्रमांक **350 "अ"** पर वरीयता निर्धारित की गई है।

निरन्तर....2

5/ उप वनक्षेत्रपाल की दिनांक 1.4.2014 की स्थिति में जारी वरीयता सूची के आधार पर उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 09.09.2015 में की गई अनुशंसा के अनुसार म.प्र. शासन वन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3-24/2015/10-1 दिनांक 21.03.2016 द्वारा वरी. क्र. 351 श्री विनोद कुमार अवस्थी, उप वनक्षेत्रापाल को वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति दी गई है। अतः श्री राजेन्द्र प्रसाद पस्तोर, उप वनक्षेत्रपाल को उनके कनिष्ठ श्री विनोद कुमार अवस्थी की वनक्षेत्रपाल के पद पर की गई पदोन्नति दिनांक 21.03.2016 से वनक्षेपाल के पद पर पदोन्नति की पात्रता आती हैं।

6/ सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक/ 401/300/2010/3/एक दिनांक 09 अप्रैल 2019 द्वारा सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग को दिये गये विधिक अभिमत अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.05.2016 के पूर्व के डी.पी.सी. के आधार पर पदोन्नति के संबंध में निर्णय लिये जाने में बाधक नहीं है।

7/ अतः राज्य शासन एतद्द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद पस्तोर, उप वन क्षेत्रपाल को वन क्षेत्रपाल के पद पर वेतनमान पी.बी. रूपये 9300-34800 + ग्रेडपे 3600(छठवां वेतनमान) में पदोन्नत करते हुये परिक्षेत्र अधिकारी, बड़ा मलहरा, वनमण्डल (सामान्य) छतरपुर पदस्थ करता है।

8/ मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर पंजी में पदोन्नति प्रविष्टी नहीं की गई है क्योंकि वर्तमान में पदोन्नति नियम 2002 अस्तित्व में नहीं है।

9/ उपरोक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश सिविल सेवा(सेवा भर्ती शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये होगी। पदोन्नत पद पर वेतन निर्धारित करने के लिए पदोन्नत अधिकारी को आदेश प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अंदर वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक एफ 8/2009/नियम-4 दिनांक 23.03.2009 के अनुसार अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा।

10/ उपरोक्त पदोन्नति आदेश प्रकरण में उल्लेखित न्यायालयीन निर्णयों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, इसे किसी भी अन्य प्रकरण में पूर्व उदाहरण नहीं माना जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

24/12/22

(अशोक कुमार)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

निरन्तर....3

पृ0 क्रमांक एफ 3-24/2015/10-1 भोपाल, दिनांक 22/12/2022

प्रतिलिपिः-

(1) महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
(2) सचिव, म0प्र0 लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
(3) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म0 प्र0, भोपाल।
(4) विशेष सहायक, मान. वनमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
(5) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-।।), भोपाल।
(6) संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वनमण्लाधिकारी.................................
(7) स्टाफ ऑफीसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग।
(8) संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, म.प्र. मंत्रालय भोपाल।
(9) संबंधित श्री राजेन्द्र प्रसाद पस्तोर, वनक्षेत्रपाल द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-।।) भोपाल।
(10) गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

24/12/22

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पत्र क्र. 381 23/12/2022

23/12/22

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 16 /09/2022

क्रमांक 1911 /660/2021/10-1 :माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 4717/2001 में दिनांक 22.02.2018 को निर्णय दिया था कि चूंकि समस्त वनपाल अब सेवा निवृत्त हो चुके हैं, अतः उनकी पुर्ननिर्धारित वरिष्ठता, पेंशन एवं सेवानिवृत्त पर देय स्वत्वों के लिये लागू होगी एवं उन्हें उप वनक्षेत्रपाल अथवा वनक्षेत्रपाल के पदों पर वरिष्ठता का वेतन अवशेष देय नहीं होगा। तत्पश्चात् मान. सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपील कमांक 36685/2018 में पारित निर्णय दिनांक 30.11.2018 में राज्य सरकार की अपील को निरस्त कर दिया गया। अतः माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.02.2018 के परिपालन में उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की पुनर्विचार बैठक दिनांक 29.04.2022 की अनुशंसा के तारतम्य में राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित दर्शित उप वनक्षेत्रपालों को उनके नाम के सामने दर्शित दिनांक से वनक्षेत्रपाल के पद पर "कार्य नहीं वेतन नहीं" सिद्धांत पर पदोन्नत करता है:-

कमांक	उप वनक्षेत्रपाल का नाम	वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति दिनांक
1	श्री मोहम्मद गुफरान खान	26.06.1996
2	श्री विजय सिंह तोमर	26.06.1996
3	श्री संतोष विजय सक्सेना	26.06.1996
4	श्री हनुमत सिंह ठाकुर	26.06.1996

2/ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कमांक 4717/2001 म.प्र. शासन एवं अन्य विरुद्ध श्री गणेश प्रसाद दुबे एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.02.2018 में दिये गये आदेशों के अनुसार पदोन्नत वनक्षेत्रपालों को पदोन्नति तिथि 26.06.1996 से वेतन 'नोशनल रूप से' निर्धारण किया जायेगा। परन्तु "कार्य नहीं वेतन नहीं" सिद्धांत के आधार पर वेतन अवशेष देय नहीं होगा। उपरोक्त वेतन निर्धारण पेंशन के पुनर्निर्धारण एवं अन्य सेवानिवृत्ति देय स्वत्वों के लिये लागू होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

16/9/22
(अशोक कुमार)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

निरन्तर.......2

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-II)
मध्यप्रदेश, भोपाल
23/9/22

295
26.09.2022

Order H.S.Ahirwar

mms 23/

पृ0 क्रमांक 1912/660/2021/10-1 भोपाल, दिनांक 16 /09/2022

प्रतिलिपिः-

(1) महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
(2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म0 प्र0, भोपाल।
(3) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-।।), भोपाल।
(4) संबंधित वनमण्लाधिकारी..
(5) स्टाफ ऑफीसर, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग।
(6) संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, म.प्र. मंत्रालय भोपाल।
(7) संबंधित .... द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-।।) भोपाल।
(8) गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

16/9/22

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशा-II) म.प्र. भोपाल /
पृ क्रमांक/प्रशा-II/गोपनीय/स्था-05/5388 भोपाल दिनांक 27/09/2022
प्रतिलिपि:-
मुख्य वनसंरक्षक, भोपाल वृत्त/ग्वालियर/उज्जैन वृत्त एवं आगर वृत्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया उपरोक्त शासन आदेश से संबंधितों को अवगत कराने का कष्ट करें।

सहायक वन संरक्षक
कार्यालय अ.प्र.मु.व.सं. (प्रशा.-II)
भोपाल (म.प्र.)

OC

OrderH.S.Ahirwar

Mmd. 18/8

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 16 /08/2022

क्रमांक 1716 /976/2021/10-1 :माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 4717/2001 में दिनांक 22.02.2018 को निर्णय दिया था कि चूंकि समस्त वनपाल अब सेवा निवृत्त हो चुके हैं, अतः उनकी पुर्ननिर्धारित वरिष्ठता, पेंशन एवं सेवानिवृत्त पर देय स्वत्वों के लिये लागू होगी एवं उन्हें उप वनक्षेत्रपाल अथवा वनक्षेत्रपाल के पदों पर वरिष्ठता का वेतन अवशेष देय नहीं होगा। तत्पश्चात् मान. सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपील क्रमांक 36685/2018 में पारित निर्णय दिनांक 30.11.2018 में राज्य सरकार की अपील को निरस्त कर दिया गया। अतः माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.02.2018 के परिपालन में उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की पुनर्विचार बैठक दिनांक 30.05.2022 की अनुशंसा के तारतम्य में राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नांकित उप वनक्षेत्रपाल को दिनांक 26.06.1996 से वनक्षेत्रपाल के पद पर "कार्य नहीं वेतन नहीं" सिद्धांत पर पदोन्नत करता है:-

स.क.	नाम
1.	श्री मुकुन्द नारायण यादव
2.	श्री आर.के.शुक्ला
3.	श्री गुलाब राव पानकर
4.	श्री अखलेश चन्द्रा
5.	श्री एन0के0 श्रीवास्तव
6.	श्री ब्रजेन्द्र सिंह चौहान
7.	श्री एस0के0पाण्डेय
8.	श्री मो. हारून सिद्दीकी
9.	श्री जगदीश प्रसाद दुबे
10.	श्री बलवंत सिंह पवार
11.	श्री जयशंकर प्रसाद मिश्रा
12.	श्री रामलखन मिश्रा
13.	श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह सोलंकी
14.	श्री के.पी.साकेत
15.	श्री भागीरथी वर्मा
16.	श्री गजराज सिंह कौरव
17.	श्री जे.एस.सोलंकी
18.	श्री रमाकांत चौबे
19.	श्री अनंगपाल सिंह
20.	श्री सूर्यकांत मिश्रा
21.	श्री टी.आर. आष्ठे (टीकाराम आष्ठे)
22.	श्री श्याम सिंह तोमर
23.	श्री विजय कुमार पाण्डेय
24.	श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव

Order/LS.Ana.wr

GF

2/ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्रमांक 4717/2001 म.प्र. शासन एवं अन्य विरूद्ध श्री गणेश प्रसाद दुबे एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.02.2018 में दिये गये आदेशों के अनुसार पदोन्नत वनक्षेत्रपालों को पदोन्नति तिथि 26.06.1996 से वेतन निर्धारण किया जायेगा। परन्तु "कार्य नहीं वेतन नहीं" सिद्धांत के आधार पर वेतन अवशेष देय नहीं होगा। उपरोक्त वेतन निर्धारण पेंशन के पुनर्निर्धारण एवं अन्य सेवानिवृत्ति देय स्वत्वों के लिये लागू होगा।

आवक क्र. 261
दिनांक 17.08.2022
सतपुड़ा भवन, भोपाल

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-II)
मध्यप्रदेश, भोपाल
17/8/22

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विजया पुनवटकर)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ० क्रमांक 1717 /976/2021/10-1 भोपाल, दिनांक 16 /08/2022

प्रतिलिपिः-

(1) महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
(2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म0 प्र0, भोपाल।
(3) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II), भोपाल।
(4) संबंधित वनमण्डलाधिकारी..
(5) स्टाफ ऑफीसर, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग।
(6) संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, म.प्र. मंत्रालय भोपाल।
(7) संबंधित .... द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II) भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मध्यप्रदेश, सतपुडा भवन, भोपाल

(शाखा प्रशासन-II)

पृष्ठा.क्रमांक / प्रशा. II / गो.स्था.-5 / 2021 / 4445 भोपाल, दिनांक :- 18/08/2022

प्रतिलिपिः- समस्त मुख्य वन संरक्षक(क्षेत्रीय) मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया शासनादेश से संबंधितों को अवगत कराने का कष्ट करें।

(महेन्द्र सिंह धाकड़)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(प्रशा. II)
म.प्र. भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 4/05/2022

क्रमांक 1646/976/2021/10-1 :माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका कमांक 4717/2001 में दिनांक 22.02.2018 को निर्णय दिया था कि चूंकि समस्त वनपाल अब सेवा निवृत्त हो चुके हैं, अतः उनकी पुर्ननिर्धारित वरिष्ठता, पेंशन एवं सेवानिवृत्त पर देय स्वत्वों के लिये लागू होगी एवं उन्हें उप वनक्षेत्रपाल अथवा वनक्षेत्रपाल के पदों पर वरिष्ठता का वेतन अवशेष देय नहीं होगा। तत्पश्चात् मान. सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपील कमांक 36685/2018 में पारित निर्णय दिनांक 30.11.2018 में राज्य सरकार की अपील को निरस्त कर दिया गया। अतः माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.02.2018 के परिपालन में उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की पुनर्विचार बैठक दिनांक 29.04.2022 की अनुशंसा के तारतम्य में राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित दर्शित उप वनक्षेत्रपालों को उनके नाम के सामने दर्शित दिनांक से वनक्षेत्रपाल के पद पर "कार्य नहीं वेतन नहीं" सिद्धांत पर पदोन्नत करता है:-

कमांक	उप वनक्षेत्रपाल का नाम	वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति दिनांक
1	श्री बद्री प्रसाद शर्मा	26.06.1996
2	श्री रामकुमार दुबे	26.06.1996

2/ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कमांक 4717/2001 म.प्र. शासन एवं अन्य विरूद्ध श्री गणेश प्रसाद दुवे एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.02.2018 में दिये गये आदेशों के अनुसार पदोन्नत वनक्षेत्रपालों को पदोन्नति तिथि 26.06.1996 से वेतन निर्धारण किया जायेगा। परन्तु "कार्य नहीं वेतन नहीं" सिद्धांत के आधार पर वेतन अवशेष देय नहीं होगा। उपरोक्त वेतन निर्धारण पेंशन के पुनर्निर्धारण एवं अन्य सेवानिवृत्ति देय स्वत्वों के लिये लागू होगा।

APCCF (Adm)

PA TO APCCF (Admn-II) No. 372 10/8/22 M.P., BHOPAL

प्र.मु.व.सं. (वन बल प्रमुख) म.प्र. भोपाल

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विजया पुनवटकर)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

APCCF (ADMN-II)
10 AUG 2022

SR. P.A. TO P.C.C.F. No. 4807 Dt. 08-8-22 MADHYA PRADESH, BHOPAL

निरन्तर.......2

OrderH.S.Ahirwar

पृ0 क्रमांक /647/976/2021/10-1 भोपाल, दिनांक 04/08/2022

प्रतिलिपिः-

(1) महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।

(2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म0 प्र0, भोपाल।

(3) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-।।), भोपाल।

(4) संबंधित वनमण्लाधिकारी...

(5) स्टाफ ऑफीसर, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग।

(6) संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, म.प्र. मंत्रालय भोपाल।

(7) संबंधित .... द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-।।) भोपाल।

(8) गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

OrderH S Ahirwar

E-mail
Date 05/08/22

ज्ञापना

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 1 /08/2022

क्रमांक 1606/976/2021/10-1 :माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 4717/2001 में दिनांक 22.02.2018 को निर्णय दिया था कि चूंकि समस्त वनपाल अब सेवा निवृत्त हो चुके हैं, अतः उनकी पुर्ननिर्धारित वरिष्ठता, पेंशन एवं सेवानिवृत्त पर देय स्वत्वों के लिये लागू होगी एवं उन्हें उप वनक्षेत्रपाल अथवा वनक्षेत्रपाल के पदों पर वरिष्ठता का वेतन अवशेष देय नहीं होगा। तत्पश्चात् मान. सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपील क्रमांक 36685/2018 में पारित निर्णय दिनांक 30.11.2018 में राज्य सरकार की अपील को निरस्त कर दिया गया। अतः माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.02.2018 के परिपालन में उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की पुनर्विचार बैठक दिनांक 05.03.2021 में वरीयता क्रमांक 133 श्री टी.पी. ज्योतिषी, उप वनक्षेत्रपाल के नाम पर विचार किया गया था तत्समय मु.व.सं. छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक 1649 दिनांक 02.11.2020 से प्राप्त जानकारी अनुसार श्री ज्योतिषी के न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने की जानकारी के कारण उनके प्रकरण में बंद लिफाफा की कार्यवाही की गई।

2/ अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, वनवृत्त छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक/709, दिनांक 31.03.20222 द्वारा श्री ज्योतिषी के प्रकरण में लेख किया गया कि "माननीय विशेष न्यायालय छिंदवाड़ा द्वारा श्री तारेन्द्र प्रसाद ज्योतिषी के विरूद्ध दर्ज अपराध प्रकरण क्रमांक 04/86 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28.07.2000 को आदेश पारित करते हुये उन्हें दोषमुक्त किया गया है।

3/ उपरोक्त दर्शित स्थिति के अनुसार श्री टी.पी.ज्योतिषी, उप वनक्षेत्रपाल के प्रकरण में डीपीसी दिनांक 05.03.2021 के समय लंबित प्रकरण का निराकरण हो जाता है। अतः विभागीय पदोन्नति समिति की पुनर्विचार बैठक दिनांक 05.03.2021 की अनुशंसा के तारतम्य में राज्य शासन एतद्द्वारा श्री टी.पी. ज्योतिषी को दिनांक 26.06.1996 से वनक्षेत्रपाल के पद पर "कार्य नहीं वेतन नहीं" सिद्धांत पर पदोन्नत करता है।

4/ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्रमांक 4717/2001 म.प्र. शासन एवं अन्य विरूद्ध श्री गणेश प्रसाद दुबे एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.02.2018 में दिये गये आदेशों के अनुसार पदोन्नत वनक्षेत्रपालों को पदोन्नति तिथि 26.06.1996 से वेतन निर्धारण किया जायेगा। परन्तु "कार्य नहीं वेतन नहीं" सिद्धांत के आधार पर वेतन अवशेष देय नहीं होगा। उपरोक्त वेतन निर्धारण पेंशन के पुनर्निर्धारण एवं अन्य सेवानिवृत्ति देय स्वत्वों के लिये लागू होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विजया पुनवटकर)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-II) मध्यप्रदेश, भोपाल
246
01.08.2022
1959
08 AUG 2022

निरन्तर.....2

पृ0 क्रमांक 1607/976/2021/10-1 भोपाल, दिनांक 1/08/2022

प्रतिलिपिः-

(1) महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
(2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म0 प्र0, भोपाल।
(3) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II), भोपाल।
(4) संबंधित वनमण्डलाधिकारी...
(5) स्टाफ ऑफीसर, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग।
(6) संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, म.प्र. मंत्रालय भोपाल।
(7) संबंधित .... द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II) भोपाल।
(8) गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशा-II) म.प्र. भोपाल
पृ.क्रमांक/प्रशा-II/गोपनीय/स्था-05/4292 भोपाल दिनांक:- 04/08/2022
प्रतिलिपि :-
मुख्य वनसंरक्षक, छिन्दवाड़ा वृत्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया उपरोक्त शासन आदेश से संबंधित वनक्षेत्रपाल को अवगत कराने का कष्ट करें।

ATCCF (Admn.-II)
M.P., BHOPAL

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 13 /7 /2022

क्रमांक 1453/660/2021/10-1 :माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका कमांक 4717/2001 में दिनांक 22.02.2018 को निर्णय दिया था कि चूंकि समस्त वनपाल अब सेवा निवृत्त हो चुके हैं, अतः उनकी पुर्ननिर्धारित वरिष्ठता, पेंशन एवं सेवानिवृत्त पर देय स्वत्वों के लिये लागू होगी एवं उन्हें उप वनक्षेत्रपाल अथवा वनक्षेत्रपाल के पदों पर वरिष्ठता का वेतन अवशेष देय नहीं होगा। तत्पश्चात् मान. सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपील कमांक 36685/2018 में पारित निर्णय दिनांक 30.11.2018 में राज्य सरकार की अपील को निरस्त कर दिया गया। अतः माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.02.2018 के परिपालन में उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की पुनर्विचार बैठक दिनांक 29.04.2022 की अनुशंसा के तारतम्य में राज्य शासन एतद्द्वारा श्री गंगाराम सांवले, उप वनक्षेत्रपाल को दिनांक 26.06.1996 से वनक्षेत्रपाल के पद पर "कार्य नहीं वेतन नहीं" सिद्धांत पर पदोन्नत करता है।

2/ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कमांक 4717/2001 म.प्र. शासन एवं अन्य विरुद्ध श्री गणेश प्रसाद दुवे एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.02.2018 में दिये गये आदेशों के अनुसार पदोन्नत वनक्षेत्रपालों को पदोन्नति तिथि 26.06.1996 से वेतन निर्धारण किया जायेगा। परन्तु "कार्य नहीं वेतन नहीं" सिद्धांत के आधार पर वेतन अवशेष देय नहीं होगा। उपरोक्त वेतन निर्धारण पेंशन के पुनर्निर्धारण एवं अन्य सेवानिवृत्ति देय स्वत्वों के लिये लागू होगा।

स्था-5
14.07.22
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-II) मध्यप्रदेश, भोपाल
14/7/22

कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-II) सतपुड़ा भवन, भोपाल
पत्र क्र.
आवक क्र. 223
दिनांक 14.07.2022

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विजया पुनवटकर)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ0 क्रमांक 1454/660/2021/10-1

भोपाल, दिनांक 13 /7 /2022

प्रतिलिपिः-

(1) महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
(2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म0 प्र0, भोपाल।
(3) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II), भोपाल।
(4) संबंधित वनमण्डलाधिकारी...
(5) स्टाफ ऑफीसर, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग।
(6) संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, म.प्र. मंत्रालय भोपाल।
(7) संबंधित .... द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II) भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

OrderH S Ahirwar

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 25/03/2022

क्रमांक 642/660/2021/10-1 :माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका कमांक 4717/2001 में दिनांक 22.02.2018 को निर्णय दिया था कि चूंकि समस्त वनपाल अब सेवा निवृत्त हो चुके हैं, अतः उनकी पुर्ननिर्धारित वरिष्ठता, पेंशन एवं सेवानिवृत्त पर देय स्वत्वों के लिये लागू होगी एवं उन्हें उप वनक्षेत्रपाल अथवा वनक्षेत्रपाल के पदों पर वरिष्ठता का वेतन अवशेष देय नहीं होगा। तत्पश्चात् मान. सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपील कमांक 36685/2018 में पारित निर्णय दिनांक 30.11.2018 में राज्य सरकार की अपील को निरस्त कर दिया गया। अतः माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.02.2018 के परिपालन में उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की पुनर्विचार बैठक दिनांक 25.01.2022 की अनुशंसा के तारतम्य में राज्य शासन एतद् द्वारा श्री सरदार महेन्द्र सिंह, उप वनक्षेत्रपाल को दिनांक 26.06.1996 से वनक्षेत्रपाल के पद पर "कार्य नहीं वेतन नहीं" सिद्धांत पर पदोन्नत करता है।

2/ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्रमांक 4717/2001 म.प्र. शासन एवं अन्य विरूद्ध श्री गणेश प्रसाद दुबे एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.02.2018 में दिये गये आदेशों के अनुसार पदोन्नत वनक्षेत्रपालों को पदोन्नति तिथि 26.06.1996 से वेतन निर्धारण किया जायेगा। परन्तु "कार्य नहीं वेतन नहीं" सिद्धांत के आधार पर वेतन अवशेष देय नहीं होगा। उपरोक्त वेतन निर्धारण पेंशन के पुनर्निर्धारण एवं अन्य सेवानिवृत्ति देय स्वत्वों के लिये लागू होगा।

स्था-5

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विजया पुनवटकर)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग
भोपाल, दिनांक 25/03/2022

28/3/22

पृ० क्रमांक 643/660/2021/10-1

प्रतिलिपिः-

(1) महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
(2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म० प्र०, भोपाल।
(3) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II), भोपाल।
(4) संबंधित वनमण्लाधिकारी...
(5) स्टाफ ऑफीसर, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग।
(6) संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, म.प्र. मंत्रालय भोपाल।
(7) संबंधित .... द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II) भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मध्यप्रदेश, सतपुडा भवन, भोपाल

(शाखा प्रशासन–II)

पृष्ठा.क्रमांक / प्रशा.II / गो.स्था.–5 / 2022 / 1523 भोपाल, दिनांक 28/3/2022

प्रतिलिपि :–

(1) मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त सिवनी मध्यप्रदेश

(2) वनमंडलाधिकारी, वनमंडल नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया शासनादेश से संबंधित वनक्षेत्रपालों को अवगत कराने का कष्ट करें।

प्रकरण में वनमंडलाधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, वनमंडल नरसिंहपुर शासनादेश दिनांक 25.03.2022 के अनुसार याचिका क्र.19618 / 2019 श्री सरदार महेन्द्र सिंह विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में शासन की ओर से तत्काल जवाबदावा प्रस्तुत कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

(महेन्द्र सिंह धाकड़)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(प्रशा.II)
म.प्र. भोपाल

Email @ 14/3/22

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 09 /03/2022

क्रमांक 544/660/2021/10-1 :माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 4717/2001 में दिनांक 22.02.2018 को निर्णय दिया था कि चूंकि समस्त वनपाल अब सेवा निवृत्त हो चुके हैं, अतः उनकी पुर्ननिर्धारित वरिष्ठता, पेंशन एवं सेवानिवृत्त पर देय स्वत्वों के लिये लागू होगी एवं उन्हें उप वनक्षेत्रपाल अथवा वनक्षेत्रपाल के पदों पर वरिष्ठता का वेतन अवशेष देय नहीं होगा। तत्पश्चात् मान. सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपील कमांक 36685/2018 में पारित निर्णय दिनांक 30.11.2018 में राज्य सरकार की अपील को निरस्त कर दिया गया। अतः माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.02.2018 के परिपालन में उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की पुनर्विचार बैठक दिनांक 11.01.2022 की अनुशंसा के तारतम्य में राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नांकित उप वनक्षेत्रपाल को दिनांक 26.06.1996 से वनक्षेत्रपाल के पद पर "कार्य नहीं वेतन नहीं" सिद्धांत पर पदोन्नत करता है:-

स.क्र.	वरियता कमांक	वनक्षेत्रपाल का नाम
1	2	3
1.	24	श्री सुशीलचन्द्र त्रिपाठी
2.	149	श्री चंद्रप्रकाश पाण्डे
3.	163	श्री शैलेन्द्र कुमार मिश्रा
4.	175	श्री लक्ष्मीशंकर मेश्राम
5.	176	श्री विजय सिंह पटेल
6.	183	श्री विजेन्द्र प्रसाद पाण्डे
7.	187	श्री एल.के. पाण्डेय
8.	191	श्री गिरवर सिंह पटेल (ठाकुर)
9.	219	श्री आलोकनाथ चौधरी
10.	225	श्री एम.एस. इलियास
11.	253	श्री व्ही.के. सक्सेना
12.	267	श्री आर.एन. शर्मा
13.	353	श्री अंगद कुमार तिवारी
14.	411	श्री नकुल सिंह धुर्वे
15.	470	श्री बी.एस.जादोन
16.	501	श्री गिरधारी सिंह ,

2/ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कमांक 4717/2001 म.प्र. शासन एवं अन्य विरूद्ध श्री गणेश प्रसाद दुबे एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.02.2018 में दिये गये आदेशों के अनुसार पदोन्नत वनक्षेत्रपालों को पदोन्नति तिथि 26.06.1996 से वेतन निर्धारण किया जायेगा। परन्तु "कार्य नहीं वेतन नहीं" सिद्धांत के आधार पर वेतन अवशेष देय नहीं होगा। उपरोक्त वेतन निर्धारण पेंशन के पुनर्निर्धारण एवं अन्य सेवानिवृत्ति देय स्वत्वों के लिये लागू होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विजया पुनवटकर)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

Order H.S Ahirwar

पृ० क्रमांक 545/660/2021/10-1 भोपाल, दिनांक 09 /03/2022

प्रतिलिपिः-

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख सतपुड़ा भवन म0प्र0 भोपाल।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशा.-II), म0प्र0 भोपाल।
4. स्टाफ आफीसर, अपर मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी वन म0प्र0 भोपाल।
6. संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वन मण्डलाधिकारी कार्यालय ....
7. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, म.प्र. मंत्रालय, भोपाल।
8. संबंधित उम्मीदवार .... द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशा.-II), म0प्र0 भोपाल।
9. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रशा-5

10.03.22

APCCF (ADMN.-II) M.P. BHOPAL

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

आवक क्र. 99 दिनांक 10/3/2022

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मध्यप्रदेश, सतपुडा भवन, भोपाल

(शाखा प्रशासन-II)

क्रमांक / प्रशा. II / गो.स्था.-5 / 2022 / 1261 भोपाल, दिनांक 14/03/2022

प्रतिलिपि-समस्त मुख्य वन संरक्षक(क्षेत्रीय) मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उपरोक्त शासनादेश से संबंधित सेवा निवृत्त वनक्षेत्रपालों को अवगत कराने का कष्ट करें।

14/03/22

(महेन्द्र सिंह धाकड़)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(प्रशा. II)
म.प्र. भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
<u>मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल</u>
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 09 /03/2022

क्रमांक 546/1040/2016/10-1 : विभाग के आदेश कमांक 1034/1040/2016/10-1, दिनांक 05.07.2021 द्वारा श्री मोतीलाल तिवारी, उप वनक्षेत्रपाल को वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति देने संबंधी आदेश जारी किये गये हैं।

2/ उक्त आदेश के संबंध में श्री मोतीलाल तिवारी, वनक्षेत्रपाल द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसमें लेख किया है कि उक्त पदोन्नति आदेश में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि प्रार्थी को किस दिनांक से पदोन्नति दी गई है। जबकि प्रार्थी से कनिष्ठ (जूनियर) उप वनक्षेत्रपाल श्री मूलचन्द्र सिसोदिया की भी वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति आदेश कमांक 1272/793/2019/10-1, दिनांक 24.05.2019 में दिनांक 28.11.2015 से वरिष्ठता दी गई। श्री मूलचन्द्र सिसोदिया का उप वनक्षेत्रपाल की वरिष्ठता सूची में 164 पर है और प्रार्थी का नाम वरिष्ठता सूची में कमांक 162 पर है। अतः प्रार्थी को वनक्षेत्रपाल पद पर वरिष्ठता डी.पी.सी. दिनांक से दिलाने का अनुरोध किया है।

3/ प्रकरण का पुनः परीक्षण किया गया जिसमें उप वनक्षेत्रपाल की पदकम सूची वर्ष 2014 में श्री मोतीलाल तिवारी का नाम वरियता कमांक 162 पर एवं 163 पर श्री ज्ञानचंद राय का नाम अंकित है। श्री मोतीलाल तिवारी से कनिष्ठ श्री ज्ञानचंद राय को विभागीय आदेश दिनांक 28.11.2015 द्वारा उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नत किया गया है। प्रकरण में श्री ज्ञानचंद राय की पदोन्नति दिनांक से ही श्री मोतीलाल तिवारी को वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति की पात्रता आती है।

अतः राज्य शासन एतदद्वारा श्री मोतीलाल तिवारी, उपवनक्षेत्रपाल को उनके कनिष्ठ की पदोन्नति दिनांक 28.11.2015 से वनक्षेत्रपाल के पद पर नोशनल रुप से **"कार्य नहीं वेतन नहीं के सिद्धांत पर"** पदोन्नत करता है।

स्था-5

10.03.22
APCCF(ADMN.-II)
M.P. BHOPAL

कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-II) सतपुड़ा भवन, भोपाल
पत्र क्र. 98
आवक क्र.
दिनांक 10/3/2022

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विजया पुनवटकर)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग
भोपाल, दिनांक 09 /03/2022

पृ0 क्रमांक/ 547/1040/2016/10-1,
प्रतिलिपिः-

(1) महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
(2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म0 प्र0, भोपाल।
(3) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II), भोपाल।
(4) संबंधित वनमण्लाधिकारी..
(5) स्टाफ ऑफीसर, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग।
(6) संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, म.प्र. मंत्रालय भोपाल।
(7) संबंधित .... द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II) भोपाल।
(8) गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशा-II) म.प्र. भोपाल
पृ.क्र./प्रशा-II/राजपत्रित/(स्था-05)/1301 दिनांक 15/03/2022
प्रतिलिपि:- मुख्य वनसंरक्षक, बालाघाट वृत्त बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया उपरोक्त शासनादेश से संबंधित वनक्षेत्रपाल को अवगत कराने का कष्ट करें।

15.03.22
उप वन संरक्षक (प्रशा.-II)
कृ. मध्यप्रदेश, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 21 /01/2022

क्रमांकःएफ03-16/2016/10-1 : उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की पुनर्विचार बैठक दिनांक 27.02.2016 को सम्पन्न की गई। जिसमें श्री जांगड़े को वनक्षेत्रपाल के पद पद पदोन्नति हेतु योग्य पाया गया।

2/ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र कमांक 451/300/2019/3/1 दिनांक 09.04.2019 से सचिव म.प्र. लोक सेवा आयोग इंदौर को मान. उच्च न्यायालय में दायर याचिका एवं अवमानना प्रकरणों में वर्ष 2002 के पदोन्नति नियमों के तहत पुनर्विचार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने बावत् विधिक अभिमत उपलब्ध कराया गया, जिसके अनुसार दिनांक 12.05.2016 के पूर्व के डी.पी.सी. के आधार पर पदोन्नति के संबंध में निर्णय लिये जाने में बाधक नहीं है"।

3/ अतः राज्य शासन एतद्द्वारा श्री जगदीश जांगड़े, सेवा निवृत्त, उप वन क्षेत्रपाल को उनसे कनिष्ठ श्री जगतदास खरे, वनक्षेत्रपाल की पदोन्नति दिनांक 28.11.2015 से वनक्षेत्रपाल के पद पर **"कार्य नहीं वेतन नहीं के सिद्धांत पर"** वेतनमान पी.बी. रूपये 9300-34800 + ग्रेडपे 3600(छठवां वेतनमान) पदोन्नत करता है।

4/ पदोन्नत पद पर वेतन निर्धारित करने के लिए पदोन्नत अधिकारी को आदेश प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अंदर वित्त विभाग के ज्ञापन, कमांक एफ 8/2009/नियम-4 दिनांक 23.03.2009 के अनुसार अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा।

र-शा-5

APCCF (ADMN.-II)
M.P. BHOPAL
24 JAN 2022

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-II) कार्यालय सतपुड़ा भवन, भोपाल
पत्र क्र. 35 आवक क्र. दिनांक 25/01/2022

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विजया पुनवटकर)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ0 :एफ03-16/2016/10-1

भोपाल, दिनांक 21/01/2022

प्रतिलिपि-

1. महालेखाकार, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख सतपुड़ा भवन म0प्र0 भोपाल।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशा.-II), म0प्र0 भोपाल।
4. स्टाफ आफीसर, प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी वन म0प्र0 भोपाल।
6. संबंधित .... द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशा.-II), म0प्र0 भोपाल।
7. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
म.प्र. शासन वन विभाग

Ode:H S Ahirwar